

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2011/138(120)/XXVII(8)/07

दिनांक:: देहरादून:: 19 जुलाई, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 तथा अनुसूची-11(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

(क) अनुसूची-1 के क्रमांक 06 की विद्यमान प्रविष्टि में प्रयुक्त शब्द "मेहन्दी" के स्थान पर शब्दावली "प्राकृतिक मेहदी की पत्तियों का चूर्ण / पेस्ट" रख दिये जायेंगे।

(ख) अनुसूची-11(ख) के क्रमांक 141 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ ली जायेगी; अर्थात्-


"142. प्राकृतिक मेहदी की पत्तियों का चूर्ण / पेस्ट से भिन्न मेहदी।


(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

सं० ⁶⁵⁴/2011/138(120)/XXVII(8)/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-एन0आई0सी0 /गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 654/2011/138(120)/XXVII(8)/07 dated 19 July, 2011 for general information.

Uttarakhand Shasan

VITTA ANUBHAG-8
No. 654/2011/138(120)/XXVII(8)/07
Dehradun :: Dated: 19 July, 2011

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication in Gazette, the following amendments in Schedule-I and Schedule-II(B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

(a) In Schedule-I, the existing entry at serial no. 6, for the word "mehandi" occurring therein the words "powder/ paste of natural mehandi leaves" shall be substituted.

(b) In Schedule-II(B), after the entry at serial no. 141 the following entry shall be added: namely-

"142. mehandi other than powder/ paste of natural mehandi leaves."


(RADHA RATURI)

SECRETARY, FINANCE.